"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 नवम्बर 2013—अग्रहायण 1, शक 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं दीपक कुमार कृष्णन पिता श्री के. कृष्णन नायर, उम्र 45 वर्ष, निवासी ए/307, हर्ष हैवेन्स अशोक नगर चांटीडीह, थाना सरकण्डा, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र आरव दीपक कुमार बिन्दु, उम्र 9 वर्ष है, उनके समस्त शैक्षणिक अंक सूची में अंकित है. मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम आरव नायर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरे पुत्र को आरव नायर पिता श्री दीपक कुमार कृष्णन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

आरव दीपक कुमार बिन्दु
पिता श्री दीपक कुमार कृष्णन
निवासी-ए/307, हर्ष हैवेन्स, अशोक नगर
चांटीडीह, थाना सरकण्डा
जिला बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम

आरव नायर
पिता श्री दीपक कुमार कृष्णन
निवासी-ए/307, हर्ष हैवेन्स, अशोक नगर
चांटीडीह, थाना सरकण्डा
जिला बिलासपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं दीपक कुमार कृष्णन पिता श्री के. कृष्णन नायर, निवासी ए/307, हर्ष हैवेन्स अशोक नगर चांटीडीह, थाना सरकण्डा, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरी पुत्री अनंदिता दीपक कुमार बिन्दु, उम्र 13 वर्ष है, उनके समस्त शैक्षणिक अंक सूची में दर्ज है. मैं अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम अनंदिता नायर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को अनंदिता नायर पिता श्री दीपक कुमार कृष्णन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

अनंदिता दीपक कुमार बिन्दु
पिता श्री दीपक कुमार कृष्णन
निवासी-ए/307, हर्ष हैवेन्स, अशोक नगर
चांटीडीह, थाना सरकण्डा
जिला बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम

अनंदिता नायर
पिता श्री दीपक कुमार कृष्णन
निवासी-ए/307, हर्ष हैवेन्स, अशोक नगर
चांटीडीह, थाना सरकण्डा
जिला बिलासपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विनोज पिल्लई पिता श्री एम. के. के. पिल्लई, उम्र 42 वर्ष, निवासी-सी/104, वसन्त विहार कालोनी, थाना सरकण्डा, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा पुराना नाम एम. के. विनोज पिता श्री एम. के. के. पिल्लई मेरे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय तथा शैक्षणिक अंकसूची में अंकित है को परिवर्तित कर मैं अपना नया नाम विनोज पिल्लई रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे विनोज पिल्लई पिता श्री एम. के. के. पिल्लई के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

एम. के. विनोज
पिता श्री एम. के. के. पिल्लई
निवासी-सी/104, वसंत विहार कालोनी
सीपत रोड बिलासपुर
जिला बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम

विनोज पिल्लई
पिता श्री एम. के. के. पिल्लई
निवासी-सी/104, वसंत विहार कालोनी
सीपत रोड बिलासपुर
जिला बिलासपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं हरिकृष्णन एन. पिता स्व. जी. एन. उन्नीथान, निवासी ए/407, हर्ष हैवेन्स, अशोक नगर चांटीडीह, थाना सरकण्डा, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र आदित्य उन्नीथान उम्र 16 वर्ष है, उनके समस्त अभिलेखों एवं शैक्षणिक अंकसूचियों में अंकित है. मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम अखिल हरि रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरे पुत्र को अखिल हरि पिता श्री हरिकृष्णन एन. के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

आदित्य उन्नीथान
पिता श्री हरिकृष्णन एन.
निवासी-ए/407, हर्ष हैवेन्स, अशोक नगर
चांटीडीह, थाना सरकण्डा
जिला बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम

अखिल हरि
पिता श्री हरिकृष्णन एन.
निवासी-ए/407, हर्ष हैवेन्स, अशोक नगर
चांटीडीह, थाना सरकण्डा
जिला बिलासपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं हरिकृष्णन एन. पिता स्व. जी. एन. उन्नीथान निवासी ए/407, हर्ष हैवेन्स, अशोक नगर चांटीडीह, थाना सरकण्डा, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र पृथ्वी उन्नीथान उम्र 13 वर्ष है, उनके समस्त अभिलेखों एवं शैक्षणिक अंकसूची में अंकित है. मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम ज्ञानचित्त हरि रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरे पुत्र को ज्ञानचित्त हरि पिता श्री हरिकृष्णन एन. के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

पृथ्वी उन्नीथान
पिता श्री हरिकृष्णन एन.
निवासी-ए/407, हर्ष हैवेन्स, अशोक नगर
चांटीडीह, थाना सरकण्डा
जिला बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम

ज्ञानचित्त हरि
पिता श्री हरिकृष्णन एन.
निवासी-ए/407, हर्ष हैवेन्स, अशोक नगर
चांटीडीह, थाना सरकण्डा
जिला बिलासपुर (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय पब्लिक ट्रस्ट सरायपाली, जिला महासमुंद

सरायपाली, दिनांक 18 अक्टूबर 2013

क्रमांक 647/क/वा-1/अविअ./13.—चूंकि प्रमुख ट्रस्टी महादेव मंदिर पतेरापाली द्वारा श्री नरेश प्रधान वल्द हरिचरण ग्राम पतेरापाली द्वारा ग्राम पतेरापाली में महादेव मंदिर ट्रस्ट की स्थापना कर ट्रस्ट का सुचारू रूप से संचालन व व्यवस्था किये जाने हेतु समिति का निर्माण कर ट्रस्ट बनाये जाने हेतु निवेदन किया है, जिसकी सुनवाई इस न्यायालय में 25-11-2013 को नियत किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक द्वारा आवेदित विषय वस्तु के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति/दावा प्रस्तुत करना या सुझाव देना हो तो इस सूचना पत्र के तहत नियत अवधि में इस न्यायालय में अपने दो प्रतियों में आपत्ति/दावा या सुझाव स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति/दावा या सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची
(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री महादेव मंदिर ट्रस्ट, पतेरापाली, प. ह. नं. 09, रा. नि. मं. एवं तहसील सरायपाली जिला महासमुन्द (छ. ग.)
2.	चल संपत्ति	:	1,50,000.00/-रुपये
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

दीपक सोनी,
पंजीयक.

कार्यालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा), बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2013

फार्म-4
(नियम देखिये)
[लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1962 के नियम (1) के अन्तर्गत]

रा. प्र. क्र. 1 /ब-113 (1) 2013-14.-आवेदकगण श्री मधुसुदन अग्रवाल (झाझडिया), कमल सोनी, किशोर माटोलिया, सीताराम जोशी, गौतम पीपलवा, राजेश अग्रवाल, संजय गुप्ता, गगन सिंघनिया द्वारा "श्री जीर्ण माता सेवा ट्रस्ट बिलासपुर (छ. ग.)" पता मधुसुदन अग्रवाल, डी. पी. कालेज के सामने, पुराना हाई कोर्ट रोड, बिलासपुर छ. ग. को लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत लोक न्यास के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा विचार में लिया जावेगा. इस संबंध में कोई भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट में हित रखता है और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता है तो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	"श्री जीर्ण माता सेवा ट्रस्ट बिलासपुर (छ. ग.)" पता-मधुसुदन अग्रवाल, डी. पी. कालेज के सामने, पुराना हाई कोर्ट रोड, बिलासपुर, छ. ग.
2.	चल संपत्ति	:	25,000.00/-रुपये नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

क्यू. ए. खान,
पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सारंगढ़ जिला रायगढ़ (छ. ग.)

सारंगढ़, दिनांक 22 अक्टूबर 2013

प्ररूप क्रमांक 4

[देखे नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक जिला रायगढ़ के समक्ष

क्रमांक क/अ.वि.अ./वाचक-1/2013/1778.-यह कि श्री बिहारीलाल साहू अध्यक्ष माँ दुर्गा मन्दिर ट्रस्ट चॉटीपाली निवासी ग्राम चॉटीपाली तहसील बरमकेला ने लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 13-11-2013 को दिन के 10.30 बजे मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	"माँ दुर्गा मंदिर ट्रस्ट चॉटीपाली" पता-कार्यालय दुर्गा मंदिर, चॉटीपाली, पोस्ट बरमकेला, तहसील-बरमकेला, जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
2.	चल संपत्ति	:	35,000.00/-रुपये नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

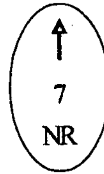
एन. एम. क्षीरसागर,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

अन्य सूचनाएं

वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल महासमुन्द (छ. ग.)

महासमुन्द, दिनांक 11 अक्टूबर 2013

क्रमांक/मा. चि./हेमर 224.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पार्श्व में अंकित का बीट हेमर तत्कालीन परिसर रक्षक श्री रेखराज साहू के द्वारा वन भ्रमण के दौरान बीट हेमर क्रमांक 7 NR को गुमा दिया गया है, जिसकी सूचना पुलिस थाना पिथौरा में दर्ज करा दी गई है. अत: वन वित्तीय नियम की धारा -124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उक्त बीट हेमर भंडार से अपलेखित किया जाता है तथा उसकी कीमत 75/- की दर से हेमर कीमत 75/- (पच्चहत्तर रुपये मात्र) श्री रेखराज साहू वनपाल के वेतन से वसूल करने आदेशित किया जाता है.



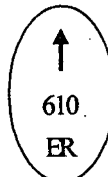
यदि किसी व्यक्ति को उक्त बीट हेमर मिले तो वह अपने निकटतम पुलिस थाना अथवा वन विभाग के कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें. यदि किसी व्यक्ति द्वारा उक्त हेमर का उपयोग करते पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-63 के अंतर्गत अभियोग चलाया जाएगा तथा वह दण्ड का भागी होगा.

आशुतोष मिश्र,
वनमण्डलाधिकारी.

वनमण्डलाधिकारी गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद (छ. ग.)

गरियाबंद, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

क्रमांक/168.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, पार्श्व में अंकित आकृति का मार्किंग हैमर श्री सेवाराम गुप्ता तत्कालीन प. स. गायडबरी से दिनांक 30-08-2013 को हैमर क्रमांक 610 ER गुम हो गया है. जिसकी सूचना पुलिस थाना छुरा में दर्ज करा दी गई है. अत: वन वित्तीय नियम की धारा-124 के अंतर्गत प्रदाय शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उक्त मार्किंग हैमर भण्डार से अपलेखित किया जाता है तथा उसकी कीमत 100/- (एक सौ रुपये) श्री सेवाराम गुप्ता सेवानिवृत्त वनपाल से वसूल करने का आदेश स्वीकृत किया जाता है.



यदि किसी व्यक्ति को उक्त मार्किंग हैमर मिले तो वह अपने निकटतम पुलिस थाना अथवा वन विभाग के कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें. यदि किसी व्यक्ति द्वारा उक्त हैमर का उपयोग करते पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-63 के अंतर्गत अभियोग चलाया जायेगा तथा वह दण्ड का भागी होगा.

एन. के. पाण्डेय,
वनमण्डलाधिकारी.

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला-कोण्डागांव

कोण्डागांव, दिनांक 11 अक्टूबर 2013

[छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्र./स. प. को/परिसमापन/2013/430.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./103 दिनांक 28-02-2013 के द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवा सहकारी समिति मर्या. बासकोट विकासखंड बड़ेराजपुर, जिला-कोण्डागांव जिसका पंजीयन क्रमांक /AR/BTR/489 दिनांक 28-02-2013 है, को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री बी मजुमदार स. वि. अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं आशीष शर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां कोण्डागांव छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-51-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयन की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 11-10-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कोण्डागांव, दिनांक 11 अक्टूबर 2013

[छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्र./स. प. को/परिसमापन/2013/430.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./103 दिनांक 28-02-2013 के द्वारा राजमिस्त्री श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या. केशकाल, विकासखण्ड केशकाल, जिला-कोण्डागांव जिसका पंजीयन क्रमांक /AR/BTR/ दिनांक 08-12-2006 है, को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री बी मजुमदार स. वि. अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं आशीष शर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां कोण्डागांव छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-51-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-99 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयन की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 11-10-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

आशीष शर्मा,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.